

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान, जयपुर

(जी.3 राजमहल रेजीडेन्शियल ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम जयपुर)
टेलीफैक्स 0141-2222403, ईमेल-dlbdda05@gmail.com

क्रमांक:-प.1(ग)()का/एस.एम.ई-3/डी.एल.बी./स.भर्ती/23/4342-4615 दिनांक:-11/07/2022

जिला कलेक्टर,
समस्त राजस्थान।

आयुक्त/अधिशायी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषय:- सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 की प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश बाबत।
सन्दर्भ:- सफाई कर्मचारी भर्ती विज्ञापन संख्या 01/2023 दिनांक 09.06.2023 के क्रम में।

सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 की चयन प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश निम्नानुसार है:-

1. सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 राजस्थान नगरपालिका (सफाई कर्मचारी सेवा) नियम, 2012 एवं इन नियमों में समय-समय पर किये गये संशोधनों के अनुसार संपादित की जावें।
2. सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 संशोधित विज्ञापन संख्या 01/2023 दिनांक 09.06.2023 एवं संशोधित विज्ञापन दिनांक 27.06.2023 एवं 11.07.2023 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।
3. नगरीय निकायवार सफाई कर्मचारियों के विज्ञापित पदों हेतु पात्र अभ्यर्थियों का चयन निकाय स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार एवं प्रायोगिक परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा।

4. **चयन समिति:-**निकायवार चयन समिति का गठन किया जायेगा। चयन समिति निम्न प्रारूप में होगी:-

महापौर/सभापति/अध्यक्ष संबंधित नगरीय निकाय	-	अध्यक्ष
राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी/तहसीलदार	-	सदस्य
(जिला कलेक्टर द्वारा मनोनीत)		

उपमहापौर/उपसभापति/उपाध्यक्ष/सफाई समिति का अध्यक्ष-	-	सदस्य
--	---	-------

(जहां उपमहापौर/उपसभापति/उपाध्यक्ष नहीं है तो वहाँ सफाई समिति (जिस निकाय में सफाई समिति गठित हो) का अध्यक्ष सदस्य होगा)

चिकित्सा अधिकारी (यदि है तो)	-	सदस्य
------------------------------	---	-------

सहायक अभियंता (ठोस कचरा प्रबन्धन)/

मुख्य/वरिष्ठतम सफाई निरीक्षक(ठोस कचरा प्रबन्धक)	-	सदस्य
---	---	-------

मुख्य नगर पालिक अधिकारी (संबंधित नगरीय निकाय)-

सदस्य सचिव

नोट:- यदि कोई सदस्य उपलब्ध नहीं होने या अनुपस्थित होने की स्थिति में सदस्य सचिव द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी।

5. पात्र अभ्यर्थियों का चयन उक्त समिति द्वारा साक्षात्कार एवं प्रायोगिक परीक्षा आयोजित कर योग्यता/अनुभव परीक्षण के आधार पर किया जायेगा।
6. सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया हेतु कुल अधिकतम 80 अंक निर्धारित है। जिसमें प्रायोगिक एवं साक्षात्कार परीक्षा दोनों हेतु पृथक-पृथक क्रमशः 50-30 अंक होंगे। अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन साक्षात्कार एवं प्रायोगिक परीक्षा दोनों हेतु निर्धारित अंकों में से कुल प्राप्तांको के आधार पर होगा।
7. **प्रायोगिक परीक्षा:-** प्रायोगिक परीक्षा हेतु अधिकतम कुल 50 अंक निर्धारित है। प्रायोगिक परीक्षा के माध्यम से कुशल एवं दक्ष अभ्यर्थियों हेतु अभ्यर्थियों की सफाई कार्य की योग्यता सफाई कार्य संबंधित प्रायोगिक परीक्षा चयन समिति द्वारा मौके पर जाकर ली जावेगी।
8. प्रायोगिक परीक्षा हेतु अधिकतम कुल 50 अंक का निर्धारण निम्नलिखित सफाई से संबंधित कार्यों के सम्पादन से होगा:-

क्र.सं.	सफाई से संबंधित कार्य	निर्धारित अधिकतम अंक
1.	- शौचालय की सफाई - नालियों की सफाई - नालों की सफाई - कचरा पॉइन्ट से कचरा निस्तारण - गीला सूखा कचरा पृथकरण - सीवर कार्य से जुड़े उपकरणों का प्रयोग (विभागीय मानक संचालन प्रक्रिया अनुसार) - पार्को की सफाई	50 (कोई भी चार कार्य करवाना अनिवार्य है।)

9. चयन समिति द्वारा उक्त कार्यों के आधार पर निर्धारित अधिकतम 50 अंक में अभ्यर्थी को अंक दिये जावेंगे।
10. प्रायोगिक परीक्षा लिए जाने के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त आदेश/दिशा निर्देशों तथा एम.एस.एक्ट-2013 की अक्षरशः पालना की जायेगी।
11. **साक्षात्कार:-** साक्षात्कार अधिकतम कुल 30 अंक का निर्धारित होगा। साक्षात्कार के माध्यम से कुशल एवं दक्ष कार्मिकों का चयन हो इस हेतु उनके अनुभव एवं योग्यता के आधार पर चयन समिति द्वारा साक्षात्कार हेतु निर्धारित कुल अंक 30 में से अभ्यर्थियों को अंक दिये जायेंगे।
12. साक्षात्कार में चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों को साक्षात्कार अंक दिये जाते समय निम्नलिखित बिन्दुओं का ध्यान रखा जावेगा:-
- पारम्परिक रूप से सफाई से जुड़े कार्य करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता।
 - विधवा एवं तलाकशुदा (विवाह विच्छेद) महिलाओं को प्राथमिकता।
 - तुलनात्मक रूप से अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता।

नोट:- अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन प्रायोगिक परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्तांकों के आधार पर किया जावेगा।

13. सम्पूर्ण प्रायोगिक परीक्षा सी.सी.टी.वी. कैमरे रिकॉर्डिंग/विडियो रिकॉर्डिंग के साथ कराया जाना सुनिश्चित करावें। प्रतिदिन समिति द्वारा अभ्यर्थियों को दिये गये अंकों पर समिति सदस्यों के हस्ताक्षर उपरान्त अंको के सीलबन्द लिफाफे तथा प्रतिदिन की विडियोग्राफी को सुरक्षित double Lock में रखा जाना सुनिश्चित किया जावेगा। विभागीय निर्देशों के क्रम में परिणाम तैयार कर घोषित करवाया जावेगा। उक्त समस्त प्रक्रिया हेतु सदस्य सचिव, (चयन समिति) नोडल अधिकारी होंगे।

अन्य महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश:-

14. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो।

15. अभ्यर्थियों से आवेदन जनाधार कार्ड के द्वारा लिया जा रहा है अतः दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थियों के पास जनाधार कार्ड होना अनिवार्य है।

16. विज्ञप्ति में अंकित पदों पर ही सफाई कर्मचारी का चयन किया जायेगा। विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित पदों में कमी अथवा बढ़ोतरी की जा सकती है।

17. समस्त आवेदन प्रक्रिया ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से संबंधित विज्ञप्ति में उल्लेखित प्रक्रिया के माध्यम से होगी। निकाय अथवा अन्य स्तर पर किसी भी प्रकार का ऑफलाईन आवेदन मान्य नहीं होगा।

18. सामान्य श्रेणी के विरुद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) के केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिये देय किसी अन्य रियायत/छूट का लाभ नहीं उठाया है।

स्पष्टीकरण- अभ्यर्थी ने जिस श्रेणी में आवेदन किया है उसी श्रेणी में उसका साक्षात्कार एवं प्रायोगिक परीक्षा ली जायेगी। यदि अभ्यर्थी सामान्य से अन्य श्रेणी का हो तथा उसने अपनी श्रेणी का लाभ (आवेदन शुल्क के अतिरिक्त) नहीं लिया हो तो अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के पदों हेतु चयन के पात्र होंगे।

19. राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का माना जायेगा।

20. राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के पास जाति प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

21. नगरीय निकाय में पदों का श्रेणीवार वर्गीकरण के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन कुल प्राप्तांकों की मैरिट के आधार पर चयन समिति द्वारा किया जावेगा।

22. राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षित पदों हेतु उक्त श्रेणियों के पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को चयन समिति द्वारा नियमानुसार पात्र पाये गये अन्य वर्ग के वरियता क्रम में उपलब्ध अभ्यर्थियों का चयन कर पदों को भरा जाएगा। जिसमें चयन के दौरान

आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र एवं योग्यता रखने वाले परम्परागत रूप से सफाई कार्य करने वाले यथा वाल्मिकी/हैला समाज को प्राथमिकता दी जायेगी।

23. महिला/भूतपूर्वक सैनिक/उत्कृष्ट खिलाड़ी/दिव्यांगजन वर्ग के अभ्यर्थी के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज आधार पर होगा। अर्थात् जिस वर्ग का अभ्यर्थी होगा उसी वर्ग में समायोजित किया जावेगा इस बाबत विज्ञप्ति में दिये गये विस्तृत दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

24. महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वे महिला आवेदक है, अनुपातिक रूप से समायोजित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण-

- किसी वर्ग (अनारक्षित पद (सामान्य वर्ग)/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष आवेदक से भरा जाएगा।

- महिला हेतु कुल आरक्षित पदों में विधवा (8 प्रतिशत पद) एवं परित्यक्ता (विवाह विछिन्न महिला) (2 प्रतिशत पद) आरक्षित में से पर्याप्त विधवा एवं परित्यक्ता (विवाह विछिन्न महिला) उपलब्ध नहीं होने पर निम्नलिखित प्रकार से उक्त पदों को भरा जायेगा।

- पर्याप्त विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो विधवा के लिए आरक्षित पद को उसी श्रेणी की परित्यक्ता (विवाह विछिन्न महिला) से भरा जायेगा। इसी प्रकार यदि पर्याप्त परित्यक्ता अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिए आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जायेगा।
- यदि विधवा एवं परित्यक्ता दोनों ही पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिए आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जायेगा।
- विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं परित्यक्ता महिला (विवाह विछिन्न महिला) को विवाह विच्छेद संबंधी सक्षम सिविल न्यायालय की डिक्री प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत करनी होगी। परित्यक्ता महिला (विवाह विछिन्न महिला) को विवाह विच्छेद प्रमाण पत्र/न्यायालय आदेश इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा।

 नोट:- उक्त चाही गई श्रेणी का प्रमाण पत्र/न्यायालय आदेश अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत ना करने पर अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त न किया जाकर उक्त चाही गई श्रेणी का लाभ देय नहीं होगा।

25. वे ही अभ्यर्थी उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी के खिलाड़ी माने जाकर उत्कृष्ट श्रेणी हेतु पात्र माने जावेंगे जिनके पास विज्ञप्ति के "विशेष सूचना" के बिन्दु संख्या 11 के बिन्दु संख्या 1 से 5 में वर्णित श्रेणियों के अनुसार खेल प्रमाण पत्र हो।

26. विशेष योग्यजन अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी के द्वारा प्रदत्त स्थाई विशेष योग्यजन प्रमाण-पत्र में विशेष योग्यजन का स्पष्ट प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्तता व्यक्तियों के नियोजन नियम के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक विशेष योग्यजन होने पर ही आवेदक को विशेष योग्यजन हेतु आरक्षित पदों के लिए पात्र माना जाएगा। अभ्यर्थी के पास प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
27. सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती पद हेतु योग्यता (अनुभव):- अभ्यर्थी को राज्य की किसी नगरीय निकाय, केन्द्र अथवा राज्य के किसी भी विभाग, केन्द्र अथवा राज्य सरकार के आदेश द्वारा संस्थापित स्वायत्तशासी संस्था/अर्द्धसरकारी संस्थान में संवेदकों, प्लेसमेन्ट एजेन्सियों या निजी संस्थान जैसे कि स्कूलों, कॉलेजों, हॉस्पिटलों, होटलों, फैक्टरियों या घर, दुकानों, मॉल या कोई अन्यत्र स्थानों पर नियमित रूप से सफाई कार्य करने का न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव प्रमाण-पत्र आवेदन की अन्तिम दिनांक से पूर्व का आवश्यक है। अनुभव प्रमाण-पत्र का उदाहरणार्थ प्रारूप निम्नानुसार है:-

अनुभव प्रमाण-पत्र का प्रारूप	
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री.....	जाति.....
पुत्र/पुत्री/पत्नि.....	निवासी..... के है। उक्त के द्वारा सफाई कार्य (संस्था/अन्य स्थान का नाम).....
..... में दिनांक	से तक कुल.....
..... वर्ष सफाई कार्य किया है। उक्त कार्मिक का सफाई कार्य संतोषजनक रहा है।	
जारीकर्ता/प्रमाणित कर्ता	
नाम/पदनाम सहित पूर्ण पता.....	
मोबाईल नं.....	

28. अभ्यर्थी चयन समिति के समक्ष अनुभव प्रमाण-पत्र के संदर्भ में इस आशय के साथ शपथ-पत्र पेश करेंगे की उनके द्वारा प्रस्तुत अनुभव-प्रमाण पत्र पूर्णतया सही है।
29. सफाई कर्मचारी पद हेतु सामान्य श्रेणी अभ्यर्थी की दिनांक 01.01.2024 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष से कम हो। जिसमें अधिकतम आयु सीमा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं दिव्यांगजन के पुरुष अभ्यर्थी को 05 वर्ष, सामान्य वर्ग की महिला को 05 वर्ष, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के महिला अभ्यर्थी को 10 वर्ष तथा भूतपूर्व सैनिक को 10 वर्ष की छूट देय है। विस्तृत टिप्पणी विज्ञप्ति में अंकित है।
30. अभ्यर्थी को राजपत्रित अधिकारी या नगरपालिका के अध्यक्ष या विधानसभा/परिषद के सदस्य या संसद सदस्य, जो उसका संबंधी नहीं हो, से दो चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना है, जो कि छः माह की अवधि में जारी किया गया हो।

31. अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु निर्धारित तिथि को चयन समिति के समक्ष विभिन्न दस्तावेजों के साथ उपस्थित होंगे जिनकी सूची विज्ञप्ति के बिन्दु संख्या 11 "चयन प्रक्रिया" के बिन्दु संख्या 'ख' में अंकित की गई है।
32. साक्षात्कार एवं प्रायोगिक परीक्षा से पूर्व अभ्यर्थियों से विज्ञप्ति के अनुरूप चाहे गये दस्तावेजों की जांच (जिसमें मुख्य रूप से आवेदन पत्र, जनाधार कार्ड, अनुभव प्रमाण पत्र, प्रवेश पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र आदि) चयन समिति द्वारा की जावेगी।
33. सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 के संबंध में वही दिशानिर्देश मान्य होंगे, जो विभागीय वेबसाइट <http://lsg.urban.rajasthan.gov.in/> अथवा एस.एस.ओ. पोर्टल पर उपलब्ध है।
34. विस्तृत दिशानिर्देश विज्ञप्ति संख्या 01/2023 दिनांक 09.06.2023 एवं अन्य संशोधित विज्ञापन में वर्णित है।

(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक:-प.1(ग)()का/एस.एम.ई-3/डी.एल.बी./स.भर्ती/23/4616-5045 दिनांक:-11/07/2023
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, नई दिल्ली।
3. अध्यक्ष, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. उपाध्यक्ष/सदस्यगण, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग, राजस्थान जयपुर।
7. महापौर/सभापति/अध्यक्ष/उपमहापौर/उपसभापति/उपाध्यक्ष
नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
8. उपनिदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
9. संयुक्त निदेशक (जनसम्पर्क), निदेशालय।
10. संयुक्त निदेशक कम सिस्टम एनालिस्ट निदेशालय।
11. प्रबंधक, सी.एम.ए.आर. निदेशालय।
12. प्रशासनिक अधिकारी, निदेशालय को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
13. सुरक्षित पत्रावली।

(नरेन्द्र कुमार वर्मा)
उपनिदेशक(प्रशासन)